C9

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी डूंगरपुर (राज.)

बईजलास – निकया गोहाएन – आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 06/2011 रेवेन्यु दायर दिनांक 24/01/2011

निर्णय दिनांक 20/09/2016

1. श्रीमति कंकू पुत्री वक्ता पिता गोमना कटारा मीणा उम्र 55 साल निवासी नवाडेरा हाल निवास बर मकान पति श्री अमरा ननोमा मीणा निवासी मउडी फला उपला पाडा तहसील व जिला डूंगरपुर
2. श्रीमति कमला पुत्री वक्ता पिता गोमना कटारा मीणा उम्र 50 साल निवासी नवाडेरा हाल निवास बर मकान पति श्री नाथा ननामा मीणा नि. मउडी फला उपला पाडा तहसील व जिला डूँगरपुर (राज.)
3. श्रीमति मंगली पुत्री वक्ता पिता गोमना कटारा मीणा उम्र 45 साल निवासी नवाडेरा हाल निवास बर मकान पति श्री हांजीया रोत मीणा निवासी भण्डारिया फला नई बस्ती तहसील व जिला डूँगरपुर (राज.)

   श्रीमति धनु पुत्री वक्ता पिता गोमना कटारा मीणा उम्र बालिग मृतक के कायम मुकाम पुत्र
4. श्री कान्ति पिता रामजी कोटेड मीणा उम्र 45 साल निवासी नलवा तहसील व जिला डूँगरपुर (राज.)

—— वादीगण

बनाम

1. श्री मरता पिता वक्ता कटारा मीणा उम्र 70 साल निवासी नवाडेरा डूँगरपुर हनुमान मन्दिर के सामने तहसील व जिला डूँगरपुर (राज.) फोत

   1/1 श्रीमति रूपली बेवा मरता कटारा मीणा निवासी नवाडेरा हनुमान मन्दिर के सामने तहसील व जिला डूँगरपुर (राज.)

   1/2 श्री कालीया पिता मरता कटारा मीणा निवासी बोरी तहसील व जिला डूँगरपुर (राज.) मृतक के कायम मुकाम

   1/2/1 श्रीमति गंगा बेवा कालिया कटारा मीणा निवासी बोरी

   1/2/2 श्री हरीश पिता कालिया कटारा मीणा निवासी बोरी

   1/2/3 श्री कान्ति पिता कालिया कटारा मीणा निवासी बोरी

   1/2/4 श्री मुकेश पिता कालिया कटारा मीणा निवासी बोरी

   1/2/5 श्री सोहन पिता कालिया कटारा मीणा निवासी बोरी

   1/2/6 श्रीमति रम्बा पुत्री कालिया कटारा मीणा निवासी बोरी

   1/2/7 श्रीमति शान्ति पुत्री कालिया कटारा मीणा निवासी बोरी

   तहसील व जिला डूँगरपुर (राज.)

   1/3 श्री रामू पिता मरता कटारा मीणा निवासी नवाडेरा डूँगरपुर हनुमानजी मन्दिर के सामने तहसील व जिला डूँगरपुर (राज.)

   1/4 श्री बाबूलाल पिता मरता कटारा मीणा निवासी नवाडेरा डूँगरपुर हनुमान मन्दिर के सामने तहसील व जिला डूँगरपुर (राज.)

   1/5 श्रीमति शान्ति पुत्री मरता पत्नि बदा रोत मीणा निवासी मउडी फला भागासीरा प.ह. मउडी पाल तहसील व जिला डूँगरपुर (राज.)

(10)

2. श्री नाना पिता वक्ता कटारा मीणा उम्र 60 साल निवासी नवाडेरा डूँगरपुर हनुमान मन्दिर के सामने तहसील व जिला डूँगरपुर (राज.)
3. श्री धुला पिता वक्ता कटारा मीणा उम्र बालिग मृतक के कायम मुकाम
   3/1 श्रीमति वालू पुत्री धुला पिता वक्ता कटारा मीणा उम्र 35 साल
   3/2 श्रीमति संगीता पुत्री धुला पिता वक्ता कटारा मीणा उम्र 30 साल
   3/3 श्रीमति ललीता पुत्री धुला पिता वक्ता कटारा मीणा उम्र 25 साल निवासीयान नवाडेरा डूँगरपुर हनुमान मन्दिर के सामने तहसील व जिला डूँगरपुर (राज.)
4. श्री सब रजिस्ट्रार (पंजियन) डूँगरपुर कलेक्ट्रेट परिसर डूँगरपुर
5. श्री लेण्ड होल्डर तहसीलदार डूँगरपुर तहसील कार्यालय डूँगरपुर (राज.)

—— प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 188/88/90/91/209/53 रा.टी.एक्ट 136 ले. रे. एक्ट बाबत स्थाई निषेधाज्ञा, इन्द्राज दुरूस्ती, कर सहखातेदार घोषित करते हुए खातेदारी अधिकार दिलाए जाने एवं बटवारा

उपस्थित – वादीगण की ओर से– श्री अल्लाहनूर मन्सूरी एडवोकेट
प्रतिवादीगण नं. 1 से 3 की ओर से– श्री राजीव पण्ड्या, कोशिक पण्ड्या एडवोकेट
प्रतिवादी नं. 1/5 की ओर से – श्री मुकेश कुमार भट्ट एडवोकेट
प्रतिवादी नं. 4 व 5 की ओर से – पेरोकार सरकार(तहसीलदार डूंगरपुर)

वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त कथन इस प्रकार है कि शहर डूँगरपुर में वार्ड नवाडेरा में वादीगण नं. 1 से 3 एवं वादी नं. 4 की माता श्रीमति धनु के पिता श्री वक्ता पिता गोमना कटारा मीणा के खाते कब्जे काश्त की आराजीयात खाता नं. 119 नया वो पुराना 111 की स्थित है। वादीगण नं. 1 से 3 वो प्रतिवादी नं. 1 व 2 सहोदर भाई बहिन है। वादी नं. 4 वादीगण एवं प्रतिवादीगण नं. 1 व 2 की बहिन श्रीमति धनु के फोत हो जाने से उसका पुत्र संतान है एवं प्रतिवादी नं. 3/1, 3/2, 3/3 मृतक श्री धुला जो कि वादीगणण नं. 1 से 3 एवं प्रतिवादी नं. 1 व 2 के भाई की संतान है। इस प्रकार वादीगण एवं प्रतिवादीगण मूल पुरूष वक्ता पिता गोमना के वंशज है ।

शहर डूँगरपुर के नवाडेरा वार्ड में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पिता वक्ता पिता गोमना के खाते कब्जे काश्त की आराजी संवत 2049 से 52 की खतोनी खाता नं. 199 नया वो पुराना 111 के खसरा नं. 461 रकबा 0–02 बीघा, ख.नं. 462 रकबा 2–04 बीघा, ख.नं. 621 रकबा 0–09 बीघा, ख.नं. 625 रकबा 0–08 बीघा, ख.नं. 628 रकबा 0–11 बीघा, ख.नं. 629 रकबा 0–04 बीघा, ख.नं. 641 रकबा 0–06 बिस्वा, ख. नं. 644 रकबा 0–11 बिस्वा, ख.नं. 646 0–09 बिस्वा, ख.नं. 679 रकबा 0–11 बिस्वा, ख.नं. 681 रकबा 0–04 बीघा, ख.नं. 685 रकबा 0–05 बीघा कुल खसरा 12 कुल क्षेत्रफल 6–04 छः बीघा चार बिस्वा का स्थित है, जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादीगण का समान हिस्सा बराबर है, लेकिन वादीगण के पिता के फोत होने पर प्रतिवादीगण द्वारा प.हल्का को बहिनों के होने जानकारी नहीं दिये जाने से वादीगण का नाम खाते में अंकित होने से रह गया जिस कारण से वादीगण को जरिये इन्द्राज दुरूस्ती के सह खातेदार अंकित करवाया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादीगण के बीच कानूनी बंटवारा स्कीम के तहत बंटवारा कराया जाकर हिस्से अनुसार खाते अलग अलग कायम करवाए जावे ।

(11)

प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण का खाते में नाम अंकित नहीं होते रहते अपने पिता के खाते की आराजीयात में कुछ आराजीयात का आंशिक एवं संपूर्ण रूप से विक्रय कर दिया होने से वर्तमान खाते की स्थिति निम्नानुसार है –

मोजा नवाडेरा प.ह. राजपुर के खतोनी संवत 2069 से 2072 के खाता नं. 36 नया वो 153 पुराना के खसरा नं. 461 रकबा 0–02 बीघा, ख.नं. 462 रकबा 1. ।।।)4 बीघा, ख.नं. 621 रकबा .।)4 बीघा, खसरा नं. 625 रकबा .।)3 बीघा, खसरा नं. 628 रकबा .।।)1, ख.नं. 629 रकबा 0)4 बीघा, ख.नं. 641 रकबा 0)3 बीघा,, ख.नं. 644 रकबा .।।)1 बीघा 685 रकबा .।) बीघा कुल खसरा 09 रकबा 4.।।)2 चार बीघा बारह बिस्वा मौजुद है। इस प्रकार प्रतिवादीगण द्वारा संयुक्त खाते की आराजी में से 2 बीघा 08 बिस्वा भूमि का विक्रय कर दिया जाकर विक्रय मुल्य प्राप्त कर लिया है।

पारिवारिक शजरा के अनुसार वक्ता पिता गोमना के तीन पुत्र संतान एवं चार पुत्री संतान हुई है। मोजा नवाडेरा में काश्त की आराजी स्थित है जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादी नं. 1 से 3 का बराबर बराबर का हिस्सा है, लेकिन प्रतिवादी नं. 1 से 3 की नियत में बदयान्ति आने से उनके द्वारा नामान्तरकरण अपने नाम से खुलवा लिया एवं वादीगण का नाम उजागर नहीं होने दिया,जिससे वादीगण का नाम खाते में अंकित होने से रह गया। प्रतिवादीगण नं. 1 से 3 द्वारा अपने नाम से खाता कायम होने का छुपाए रखा। वादीगण अपने हिस्से पर काश्त करती रही लेकिन वर्ष 2011 में काश्त करने में विवाद पैदा किया, जिस पर खाते की जांच करवाई तो वादीगण का नाम खाते में अंकित नहीं होना पाया जाने से वादीगण की ओर से जरिये इन्द्राज दुरूस्ती के अपना नाम खाते में अंकित करवाए जाते हुए सह खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हुए कानूनी बटवारा कर खाते अलग अलग कायम किये जाने एवं प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का वाद न्यायालय में प्रेषित किया।

वादीगण की ओर से वाद प्रस्तुत किये जाने पर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण सम्मन तामील होने के पश्चात् न्यायालय में उपस्थित आए एवं जवाब हेतु अवसर चाहा! प्रतिवादीगण को जवाब हेतु कई अवसर प्रदान किये जाने के उपरांत भी जवाब प्रस्तुत नहीं किये जाने से जवाबदावा की स्टेज बंद की जाकर पत्रावली वास्ते साक्ष्य में नियत की गई। वादीगण की ओर से साक्ष्य हेतु शपथपत्र प्रस्तुत किये जाकर पत्रावली वाले जिरह प्रतिवादी के नियत की गई। दिनांक 15/01/2014 को वादीगण की ओर से अन्तर्गत आर्डर 22 रूल 4 जा.दी. का आवेदन प्रतिवादी नं. 1 के फोत हो जाने का प्रस्तुत कर मृतक के कायम मुकाम बनाए जाकर जरिये सम्मन तलबी आदेश हुए जिस पर दिनांक 05/05/2014 को मृतक के कायम मुकाम की ओर से अधिवक्ता उपस्थित होने से पत्रावली वास्ते जवाब का अवसर दिया जाकर आगामी तारीख पर नियत की गई। दिनांक 14/11/2014 को प्रतिवादी नं. 1 व 2 के कायम मुकाम की तरफ से जवाबदावा प्रस्तुत हुआ होने से पत्रावली वास्ते तनकीयात के नियत की गई। एवं दिनांक 02/12/2014 को निम्नानुसार तनकीयात कायम की गई –

1. आया वादीगण एवं प्रतिवादीगण वक्ता पिता गोमना की संतान होने से वक्ता के खाते की आराजी में अपना अपना हिस्सा बराबर रेवेन्यु रिकार्ड में अंकित करवाकर बटवारा कराए जाने की अधिकारी है ?

   –– बजिम्मे वादीगण

2. आया वादीगण पुत्रीयां संतान होने से खातेदारी हक प्राप्त करने की अधिकारीणी नहीं है ?

   –– बजिम्मे प्रतिवादीगण

3. अनुतोष

उपरोक्त तनकीयात कायम होने के पश्चात् वकील प्रतिवादी नं. 1 व 2 की ओर से तनकी में इजाफा करने का आवेदन दिनांक 06/04/2015 को प्रस्तुत किया जाने से तनकी में निम्नानुसार इजाफा किया गया –

4. आया वादीगण व प्रतिवादीगण पर हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम लागु नहीं होता है क्यों कि पक्षकार अनुसूचित जनजाति वर्ग (एस.टी.) के हैं तथा अ.ज.जा. वर्ग के लिए रिवाज (कस्टम) को ही कानूनी मान्यता है ?

वादीगण की ओर से आपने वाद को सिद्ध करने हेतु पीडब्ल्यु 1 श्रीमति कमला, पीडब्ल्यु 2 श्रीमति मंगली, पीडबल्यु 3 रूपसी एवं पीडब्ल्यु 4 भाणजी के बयान लिपिबद्ध करवाते हुए दस्तावेजी साक्ष्य में मोजा नवाडेरा की खतोनी संवत 2069 से 72 के खाता नं. 36/143 प्रदर्श 1 एवं संवत 2049 से 52 के खाता नं. 119/111 खातेदार वक्ता पिता गोमना की प्रदर्श 2 प्रस्तुत कर प्रदर्शित करवाई गई। प्रतिवादीगण की ओर से डीडब्ल्यु 1 कालू, डीडब्ल्यु 2 रामलाल, डीडब्ल्यु 3 नाना कटारा के बयान लिपिबद्ध करवाए गए।

दौराने वाद वकील प्रतिवादी द्वारा प्रतिवादी नं. 1/2 कालिया उर्फ कालु की मृत्यु होने की सूचना दी जिस पर वकील वादी द्वारा कालिया उर्फ कालु के कायम मुकाम हेतु आवेदन प्रस्तुत करते हुए सम्मन मृतक के वारिसान को तलबी हेतु प्रस्तुत किये। सम्मन कायम मुकाम तामील होकर आने के बावजुद भी कालीया उर्फ कालु के कोई भी वारिसान उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रतिवादीगण की ओर से साक्ष्य समाप्त किये जाने पत्रावली वास्ते बहस अन्तिम नियत की गई। वकुलाए फरीकैन की बहस समायत की गई।

वकील वादीगण द्वारा दौराने बहस हमारा ध्यान प्रदर्श 2 जो कि वादीगण के एवं प्रतिवादीगण के पिता वक्ता पिता गोमना का खाता है एवं प्रदर्श 1 जो कि प्रतिवादीगण कालु, रामलाल, बाबुलाल, शान्ति पिता मरता का 1/3, सविता, संगीता, ललिता पिता धुला 1/3, नाना पिता वक्ता 1/3 हिस्सेदार अंकित है की ओर ध्यान आकर्षित करवाते हुए बताया कि प्रदर्श 2 विरासती खाता जो वादीगण के एवं प्रतिवादीगण के पिता का होकर उसमें वादीगण का नाम अंकित होने से रह गया है जब कि वादीगण वक्ता की पुत्रीयां संतान होने से उनका बराबर का हिस्सा है जिस प्रकार प्रदर्श 1 में खातेदार धुला के फोत होने पर उनकी पुत्रीयों के नाम खाते में अंकित किये गये हैं, उसी प्रकार वादीगण के नाम भी खाते में अंकित होने चाहिये थे जो कि रेवेन्यु पटवार हल्का की भूल होने से वादीगण का नाम सह खातेदारी में अंकित किया जाकर खातेदारी अधिकार दिलाये जाकर कानूनी रूप से सभी खातेदारों के बीच बराबर बराबर हिस्सा कायम करते हुए बटवारा स्कीम के तहत बटवारे कराए जाकर खाते अलग अलग कायम करवाए जावे। वादीगण द्वारा तनकी नं. 1 को साबित करवाने हेतु साक्ष्य प्रस्तुत की है एवं दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं उससे भी स्पष्ट रूप से विरासती आराजीयात होकर पिता के खाते की आराजी में वादीगण का नाम अंकित होने से रह गया है। इस प्रकार दस्तावेजी साक्ष्य एवं मौखिक साक्ष्य से वादीगण द्वारा अपना दावा सिद्ध करवाने में सफल रहने से दावा डिकी किया जाना फरमावें ।

वकील प्रतिवादीगण द्वारा दौराने बहस इस बिन्दु पर जोर दिया गया कि वादीगण व प्रतिवादीगण पर हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम लागू नहीं होता क्योकि पक्षकार अनुसूचित जन जाति वर्ग के हैं एवं वादीगण विवाहित होकर ससुराल में निवास करती हुई होकर प्रतिवादीगण द्वारा अपनी आराजीयात को विक्रय कर चुके हैं इस लिए वादीगण द्वारा लम्बे अर्से बाद वाद प्रस्तुत करने से दावा मियाद बाहर होने से वाद खारिज किया जावे।

(13)

हमनें वकुलाए पक्षकार की बहस पर मनन करते हुए पत्रावली एवं पत्रावली पर उपब्ध साक्ष्य का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया जिससे तनकीवार निर्णय निम्नानुसार है –

तनकी नं. 1:–इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर होने से वादीगण की ओर से अपने साक्ष्य में प्रदर्श 1 संयुक्त खतोनी जिसमें वादीगण का नाम अंकित नहीं है एवं प्रदर्श 2 खतोनी जो कि वादीगण के पिता वक्ता पिता गोमना के खाते की है प्रस्तुत कर प्रदर्शित करवाई गई है। वादीगण की ओर से साक्ष्य के रूप में वादीगण पीडब्ल्यु 1 श्रीमति कमला, पीडबल्यु 2, श्रीमति मंगली, के बयान लिपिबद्ध करवाए गए हैं। श्रीमति कमला द्वारा अपने पिता के खाते की आराजी होना एवं उस पर ससुराल से आते जाते रह कर खेती करना अपने बयान में प्रमाणित करवाया है, पीडब्ल्यु 3 रूपसी साक्ष्य के रूप में वादीगण की ओर से प्रस्तुत किया गया है उसके द्वारा स्पष्ट रूप से जिरह में बयान किया कि " यह कहना गलत है कि जाती रिवाज में बहनों व पुत्रीयों को हिस्सा देने का रिवाज नहीं हो बल्कि उनके नाम इन्तकाली भी खुलती तथा बेचने पर पैसा भी मिला है बहने जमीन साथ नहीं ले जाती। मेरी बहिने हैं मेरी बहिनों का नाम खाते में चढा हुवा है उनका हिस्सा ले जाती है। आपदा का पैसा भी लेने आती है।" इसी प्रकार वादीगण की ओर से पीडब्ल्यु 4 भाणजी को साक्ष्य के रूप में पेश किया गया है उसके द्वारा भी जिरह में स्पष्ट रूप से बयान किया है कि "हमारे तीन बहिने तीन भाई है। हमारे भूमि हमारी बहिनों को हिस्सा दिया है पिता के मरने के बाद बहिनों का नाम खाते में दर्ज है। मेरी बहिने ससुराल और पीहर में आती जाती रहती है। दोनों जगहो खेती करते हैं। यह कहना गलत है कि हमारे जाति में हिस्सा देने का रिवाज नहीं हो।" प्रतिवादीगण की ओर से डीडब्ल्यु 1 कालु प्रतिवादी नं. 1/2, डीडब्ल्यु 2 रामलाल प्रतिवादी नं. 1/3, डीब्ल्यु 3 नाना प्रतिवादी नं. 2 के बयान लिपिबद्व करवाए गए हैं । इन गवाहान के बयानों से किसी प्रकार से कोई विरोधाभाषी तत्थ्य साबित नहीं हुए हैं और न ही किसी निष्पक्ष साक्ष्य को प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत करवाया गया है। साक्ष्य एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर वादीगण अपना वाद साबित करने में सफल रहे होने से इस तनकी नं. 1 का निर्णय बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण के किया जाता है।

तनकी नं. 2:– इस तनकी का सिद्धीभार प्रतिवादीगण पर होने से उनकी ओर से न तो ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है और न ही कोई साक्ष्य प्रस्तुत की गई है कि मृतक की लडकीया विरासती हक प्राप्त करने की अधिकारीणी नहीं होती है। इसके विपरीत पीडब्ल्यु 3 रूपसी एवं पीडब्ल्यु 4 भाणजी जो 60 वर्ष की आयु का है से प्रतिवादीगण की ओर से जिरह की गई जिसमें उनके द्वारा स्पष्ट बयान किया कि उनके भी बहिने हैं और उनका नाम खाते में हिस्से बराबर में अंकित है एवं बहिनों हिस्सा पिता की संपति में होता है। इस प्रकार प्रतिवादीगण द्वारा तनकी नं. 2 को किसी प्रकार से साबित नहीं करवाया जा सका होने से इस तनकी का निर्णय बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण के किया जाता है ।

तनकी नं. 4 – इस तनकी का निस्तारण कस्टम के अनुसार कानूनी रूप से होने से वादीगण की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य पीडब्ल्यु 3 रूपसी ब उम्र 55 साल एवं पीडब्ल्यु 4 भाणजी ब उम्र 60 साल ने स्पष्ट बयान किया है कि हमारे समाज में पिता के मरने के बाद पुत्रीयों को खाते में जरिये नामान्तकरण के हिस्सेदार अंकित करने का रिवाज है। इन गवाहान ने स्पष्ट किया कि हमारी बहिनों के नाम भी खाते में अंकित है। साथ ही प्रस्तुत प्रदर्श 1 में खातेदार धुला के फोत होने पर उसकी पुत्रींयां सविता, संगिता, ललीता का नाम 1/3 हिस्से में दर्ज हुवा है। प्रतिवादी नं. 1/2 कालिया के फोत होने पर उसके कायम मुकाम बनाये गये हैं जिसमें कालिया के पुत्र, पुत्रीयां सभी को कायम मुकाम में अंकित किया गया है। प्रतिवादी नं. 1 के फोत हो जाने से उसकी पुत्री श्रीमति शान्ति को भी कायम मुकाम हेतु प्रतिवादी अंकित किया गया है। इस प्रकार कस्टमरी ला समाज में प्रतिपादित रिवाजों के अनुसार होता है और समस्त

(14)

तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर आदिवासी समाज में एसटी वर्ग में पिता की मृत्यु के बाद पुत्रीयों का नाम खाते में अंकित किया जाना एक कस्टम बन चुका है। इस प्रकार मेरी राय में पिता की मृत्यु के पश्चात् पुत्रीयों का नाम खाते में अंकित होना कस्टमरी ला के तहत आवश्यक प्रतीत होता है। इसलिए इस तनकी का निर्णय बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण के किया जाता है।

अनुतोषः– प्रकरण में समस्त तनकीयां बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण निर्णित किये जाने से वाद वादी स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर आदेशित किया जाता है कि मोजा नवाडेरा प.ह. राजपुर तहसील व जिला डूंगरपुर में स्थित संवत 2069 से 2072 के खाता नं. 36 नया वो पुराना 143 के खसरा नं. 461 रकबा 0)2, ख.नं. 462 रकबा 1. ।।।)4, ख.नं. 621 रकबा .।)4, ख.नं. 625 रकबा .।)3, ख.नं. 628 रकबा .।।)1, ख.नं. 629 रकबा 0)4, ख.नं. 641 रकबा 0)3, ख.नं. 646 रकबा , 644 रकबा .।।)1, ख.नं. 685 रकबा .।) कुल खसरा 09 रकबा 4.।।)2 चार बीघा बारह बिस्वा में वादीगण को प्रतिवादीगण के साथ 1/7, 1/7 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वर्तमान खतोनी में वादीगण का प्रतिवादीगण के साथ हिस्सा बराबर 1/7, 1/7 सभी खातेदारों का वारिसाना के अनुसार अंकित किया जावे। वादीगण को खातेदार काश्तकार हिस्सा बराबर में अंकित होने के पश्चात् मौके पर मुट्स एवं बाउण्डस के बटवारा स्कीम तैयार मय नक्षा ट्रेस में दर्शाते हुए तीन प्रतों मे प्रस्तुत की जावे। तेहरीर जारी हो। खर्चा मुकदमा पक्षकार अपना अपना वहन करेगें ।

निर्णय आज दिनांक 20/9/2016 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय अनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी

डूंगरपुर(राज.)

(15)

डिकरी ब मुकदमे इब्तदाई

(ओ. 2 रूल 6 – 7 जा. दी.)
(सिविल प्रोसिजर कोड एपिन्डिक्स ऐ)

अज अदालत – उप खण्ड अधिकारी मुकाम डूँगरपुर
ब इजलास – निकया गोहायन – आर ए एस

1. श्रीमति कंकू पुत्री वक्ता पिता गोमना कटारा मीणा उम्र 55 साल निवासी नवाडेरा हाल निवास बर मकान पति श्री अमरा ननोमा मीणा निवासी मउडी फला उपला पाडा तहसील व जिला डूँगरपुर
2. श्रीमति कमला पुत्री वक्ता पिता गोमना कटारा मीणा उम्र 50 साल निवासी नवाडेरा हाल निवास बर मकान पति श्री नाथा ननामा मीणा नि. मउडी फला उपला पाडा तहसील व जिला डूँगरपुर (राज.)
3. श्रीमति मंगली पुत्री वक्ता पिता गोमना कटारा मीणा उम्र 45 साल निवासी नवाडेरा हाल निवास बर मकान पति श्री हांजीया रोत मीणा निवासी भण्डारिया फला नई बस्ती तहसील व जिला डूँगरपुर (राज.)
   श्रीमति धनु पुत्री वक्ता पिता गोमना कटारा मीणा उम्र बालिग मृतक के कायम मुकाम पुत्र
4. श्री कान्ति पिता रामजी कोटेड मीणा उम्र 45 साल निवासी नलवा तहसील व जिला डूँगरपुर (राज. –– वादीगण

बनाम

1. श्री मरता पिता वक्ता कटारा मीणा उम्र 70 साल निवासी नवाडेरा डूँगरपुर हनुमान मन्दिर के सामने तहसील व जिला डूँगरपुर (राज.) फोत
   1/1 श्रीमति रूपली बेवा मरता कटारा मीणा निवासी नवाडेरा हनुमान मन्दिर के सामने तहसील व जिला डूँगरपुर (राज.)
   1/2 श्री कालीया पिता मरता कटारा मीणा निवासी बोरी तहसील व जिला डूँगरपुर (राज.) मृतक के कायम मुकाम
      1/2/1 श्रीमति गंगा बेवा कालिया कटारा मीणा निवासी बोरी
      1/2/2 श्री हरीश पिता कालिया कटारा मीणा निवासी बोरी
      1/2/3 श्री कान्ति पिता कालिया कटारा मीणा निवासी बोरी
      1/2/4 श्री मुकेश पिता कालिया कटारा मीणा निवासी बोरी
      1/2/5 श्री सोहन पिता कालिया कटारा मीणा निवासी बोरी
      1/2/6 श्रीमति रम्बा पुत्री कालिया कटारा मीणा निवासी बोरी
      1/2/7 श्रीमति शान्ति पुत्री कालिया कटारा मीणा निवासी बोरी तहसील व जिला डूँगरपुर (राज.)
   1/3 श्री रामू पिता मरता कटारा मीणा निवासी नवाडेरा डूँगरपुर हनुमानजी मन्दिर के सामने तहसील व जिला डूँगरपुर (राज.)
   1/4 श्री बाबूलाल पिता मरता कटारा मीणा निवासी नवाडेरा डूँगरपुर हनुमान मन्दिर के सामने तहसील व जिला डूँगरपुर (राज.)
   1/5 श्रीमति शान्ति पुत्री मरता पत्नि बदा रोत मीणा निवासी मउडी फला भागासीरा प.ह. मउडी पाल तहसील व जिला डूँगरपुर (राज.)
2. श्री नाना पिता वक्ता कटारा मीणा उम्र 60 साल निवासी नवाडेरा डूँगरपुर हनुमान मन्दिर के सामने तहसील व जिला डूँगरपुर (राज.)
3. श्री धुला पिता वक्ता कटारा मीणा उम्र बालिग मृतक के कायम मुकाम
   3/1 श्रीमति वालू पुत्री धुला पिता वक्ता कटारा मीणा उम्र 35 साल
   3/2 श्रीमति संगीता पुत्री धुला पिता वक्ता कटारा मीणा उम्र 30 साल
   3/3 श्रीमति ललीता पुत्री धुला पिता वक्ता कटारा मीणा उम्र 25 साल निवासीयान नवाडेरा डूँगरपुर हनुमान मन्दिर के सामने तहसील व जिला डूँगरपुर (राज.)
4. श्री सब रजिस्ट्रार (पंजियन) डूँगरपुर कलेक्ट्रेट परिसर डूँगरपुर

(16)

5. श्री लेण्ड होल्डर तहसीलदार डूँगरपुर तहसील कार्यालय डूँगरपुर (राज.)
—— प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 188/88/90/91/209/53 रा.टी.एक्ट 136 ले. रे. एक्ट बाबत स्थाई निषेधाज्ञा, इन्द्राज दुरूस्ती, कर सहखातेदार घोषित करते हुए खातेदारी अधिकार दिलाए जाने एवं बटवारा कराए जाने

प्रकरण संख्या 06/2011 रेवेन्यु

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू **निकया गोहायन** ब हाजरी श्री अल्लाहनूर मन्सूरी एडवोकेट मिन जानिब मुद्दईयान व श्री भंवरलाल पण्ड्या, राजीव पण्ड्या, कोशिक पण्ड्या जानिब मुद्दायलाह नं. 1 से 3 , एवं मुद्दायलाह मुकेश कुमार भट्ट मिन जानिब मुद्दायला नं. 1/5 मुद्दायला संख्या 4 व 5 की ओर से पेरोकार सरकार पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि:—

वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर आदेशित किया जाता है कि भोजा नवाडेरा प.ह. राजपुर तहसील व जिला डूंगरपुर में स्थित संवत 2069 से 2072 के खाता नं. 36 नया वो पुराना 143 के खसरा नं. 461 रकबा 0)2, ख.नं. 462 रकबा 1.।।।)4, ख.नं. 621 रकबा .।)4, ख.नं. 625 रकबा .।)3, ख.नं. 628 रकबा .।।)1, ख.नं. 629 रकबा 0)4, ख.नं. 641 रकबा 0)3, ख.नं. 646 रकबा , 644 रकबा .।।)1, ख.नं. 685 रकबा .।) कुल खसरा 09 रकबा 4.।।)2 चार बीघा बारह बिस्वा में वादीगण को प्रतिवादीगण के साथ 1/7, 1/7 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वर्तमान खतोनी में वादीगण का प्रतिवादीगण के साथ हिस्सा बराबर 1/7, 1/7 सभी खातेदारों का वारिसाना के अनुसार अंकित किया जावे। वादीगण को खातेदार काश्तकार हिस्सा बराबर में अंकित होने के पश्चात् मौके पर मुट्स एवं बाउण्डस के बटवारा स्कीम तैयार मय नक्षा ट्रेस में दर्शाते हुए तीन प्रतों मे प्रस्तुत की जावे। तेहरीर जारी हो। खर्चा मुकदमा पक्षकार अपना अपना वहन करेगें ।

ब सब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 20/09/2016 को जारी की

(निकया गोहायन)
उप खण्ड अधिकारी डूंगरपुर (राज.)

मुद्दई	रूपया/पैसा	मुद्दायला	रूपया/पैसा
स्टाम्प अरजी दावा		स्टाम्प अरजी दावा	
स्टाम्प वकालतनामा		स्टाम्प वकालनामा	
स्टाम्प वजह सबुत		स्टाम्प वजह सबुत	
मेहनताना वकील		महनताना वकील	
फीस कमीश्नर		फीस कमीश्नर	
खर्चा गवाहान		खर्चा गवाहान	
बाबत इजराय		मुतफरीक	
मुतफरीक			
मिजान			